न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जमुई
जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–49/2016

Sl No date of order of proceeding	Order with Signature of the Court	Office Action taken with date
2.12.19	मुरेन्द्र रविदास, पे0–लखन रविदास– सा0–बादिलडीह, अंचल+थाना–खैरा जिला–जमुई। आवेदक प्रथम **बनाम** प्रसादी यादव, पे0–स्व0 नेमू यादव– विपक्षी प्रथम राजो यादव, पे0–स्व0 नेमू यादव– विपक्षी द्वितीय सुन्दर यादव, पे0–स्व0 नेमू यादव– विपक्षी तृतीय विष्णुदेव यादव, पे0–स्व0 नेमू यादव– विपक्षी चतुर्थ योगेन्द्र यादव, पे0–स्व0 नेमू यादव– विपक्षी पंचम नागो यादव, पे0–जगदीश यादव– विपक्षी षष्टम सा0–बादिलडीह, अंचल+थाना–खैरा, जिला–जमुई। **अभिलेख उपस्थापित।** विचाराधीन जमाबंदी रद्दीकरण वाद मुरेन्द्र रविदास, पे0–लखन रविदास, सा0–बादिलडीह, अंचल+थाना–खैरा, जिला–जमुई के आवेदन दिनांक–07.06.2016 के आलोक में कार्यवाही प्रारंभ की गई। उक्त वाद में उभयपक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए सुनवाई की गई तथा उभयपक्षों द्वारा अपने–अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए बहस की गई एवं अपना लिखित बहस भी पेश किया गया। **वादी (प्रथम पक्ष) का कथन :–** (1) जमाबंदी संख्या–26, मौजा–बादिलडीह, थाना–खैरा, जिला–जमुई, जो रोहन गोप वो शंकर गोप, पे0–स्व0 गाजो गोप के नाम से है, उसे रद्द करने हेतु किया गया है। (2) खाता सं0–67, खेसरा सं0–1655 में 2 एकड़ जमीन बंदोवस्ती बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है एवं रसीद भी कटा है, जिसकी बंदोवस्ती वाद सं0–14/95–96 एवं चौहद्दी के अनुसार उनको दखल भी दिला दिया गया है एवं तब से शांतिपूर्वक हकीयत एवं दखल–कब्जा में चले आ रहे है। विपक्षीगण के द्वारा उक्त जमाबंदी में 16 को 26 पंजी–2 में अंचल अमला को मेल में लाकर कर दिया और आवेदक एवं उनके भाई को बेदखल करने की कोशिश करने लगे। (3) इस वाद में अंचल अधिकारी, खैरा द्वारा प्रतिवेदन भी प्राप्त किया गया है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि मौजा–बादिलडीह, खाता सं0–67, खेसरा सं0–1655, कुल रकवा–83.20 एकड़ किस्म जंगल सर्वे खतियान में दर्ज है। (4) पंजी–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा–बादिलडीह, जमाबंदी रैयत मुरेन्द्र रविदास, पे0–लखन रविदास, जमाबंदी सं0–239, रकवा–2.00 एकड़ बंदोवस्ती केस नं0–14/95–96 दर्ज है, इन्द्रदेव रविदास, पे0–लखन रविदास को भी 2.00 एकड़ भूमि की बंदोवस्ती केस सं0–16/95–96 एवं नागेन्द्र रविदास, पे0–लखन रविदास को भी 2.00 एकड़ भूमि की बंदोवस्ती केस सं0–15/95–96 के द्वारा पंजी–2 में दर्ज है। (5) आवेदकगण का यह भी कहना है कि अंचल अधिकारी द्वारा	

दोनो पक्षों से कागजात की मांग किया गया तो मुरेन्द्र रविदास, इन्द्रदेव रविदास एवं नागेन्द्र रविदास ने अपना–अपना पर्चा एवं बिहार सरकार द्वारा निर्गत रसीद दिखाया गया तथा प्रतिवादी प्रसादी यादव वगैरह से पूछताछ करने पर बताया गया कि हुकुमनामा के द्वारा नई जमाबंदी कायम कराया गया है। स्थालीय जाँच के क्रम में खाता सं0–67, खेसरा सं0–1055, रकवा–2.00 एकड़ में आहर बना हुआ है, जो पुराना है। प्रसादी यादव से रसीद की मांग किये जाने पर उनके द्वारा सिर्फ नया रसीद वर्ष 2014–15 का दिखा गया है इस प्रकार प्रसादी यादव द्वारा प्रस्तुत लगान रसीद, जो रोहन वो शंकर गोप, पे0–गाजो गोप के नाम से निर्गत है, संदेहास्पद प्रतीत होता है।

(6) आवेदक का यह भी कहना है कि खाता सं0–67 में 10.20 एकड़ भूमि विपक्षीगण को भूतपूर्व जमींदार द्वारा बंदोवस्त की गई है, का उल्लेख किया गया है, जो बिल्कूल ही गलत है। खाता सं0–67 की जमीन जंगल की जमीन है, जिसे भूतपूर्व जमींदार को बंदोवस्त करने का अधिकार नहीं है। विपक्षीगण की खतियानी जमीन खाता सं0–9 एवं 35 का जमाबंदी सं0–36 में रसीद कटता था उसी में 10.20 एकड़ जोड़कर 16 से 26 कर दिया गया है, जैसा कि जमाबंदी सं0–36 का रजिस्टर 2 को देखने से स्पष्ट है।

(7) आवेदक का यह भी कहना है कि इस वाद में वन विभाग द्वारा भी प्रतिवेदन की मांग की गई है, जिसमें प्रतिवेदित है कि खाता सं0–67 में कुल 89.20 एकड़ भूमि है, जिसमें वन विभाग का अधिग्रहण 76.00 एकड़ पर ही है। ऐसी परिस्थिति में 6.00 एकड़ जमीन बिहार सरकार द्वारा आवेदक एवं उसके भाई को बंदोवस्त किया गया है एवं 2.00 एकड़ में पुराना आहर है, उसके बाद 10.20 एकड़ भूमि बचती ही नहीं है इसलिए विपक्षीगण का हुकुमनामा जाली साबित होता है।

(8) आवेदक का यह भी कहना है कि जमाबंदी संख्या–36 को भी बरकरार रखना चाहते है और जमाबंदी संख्या–617, नया जमाबंदी की भी बात करते है। इस प्रकार विपक्षीगण का स्टैण्ड बिल्कूल ही गलत है। उन्होंने जमाबंदी नं0–36 में 16 को 26 किया है, जिससे उतना जमीन रद्द होना न्यायहित में आवश्यक है।

विपक्षी का कथन :–

(1) मौजा–बादिलडीह के खाता सं0–67, खेसरा सं0–1655 का रकवा बहुत बड़ा है, जिसमें 2.00 एकड़ जमीन आवेदक को बंदोवस्ती वाद संख्या–14/95–96 से हासिल है और रसीद कट रहा है, जिसका जमाबंदी संख्या–239 है।

(2) उक्त खाता, खेसरा में विपक्षीगण के पूर्वज रोहन गोप वो शंकर गोप, पे0–स्व0 गाजो गोप ने भी बंदोवस्ती लिया है और उसका जमाबंदी भी कायम होकर रसीद कट रही है, जिसका जमाबंदी सं0–36 है।

(3) रोहन गोप एवं शंकर गोप, पे0–गाजो गोप ने खैरा इस्टेट से दो अलग–अलग बंदोवस्ती लिया, जिसका कुल अराजी 10.20 एकड़ है न कि 16 एकड़ $30\frac{1}{2}$ डी0 लिया है। खाता सं0–36 और 09 में 16 एकड़ $30\frac{1}{2}$ डी0 भूमि आवेदक का खतियानी जमीन है, जिसका जमाबंदी संख्या–6/7 है।

(4) रोहन गोप वो शंकर गोप के नाम से 5.10 एकड़ भूमि

अलग–अलग जमाबंदी कायम है, जिसका रसीद भूतपूर्व जमींदार से लेकर आज तक कट रहा है।

(5) विपक्षी का यह भी कथन है कि आवेदक के द्वारा दिये गये आवेदन युक्तिसंगत नहीं है क्योकि इस संबंध में न्यायालय द्वारा अनेकानेक निर्णय दिया गया है कि लंबे समय से चली आ रही जमाबंदी को रद्द नहीं किया जा सकता है। BBCJ Feb.2010 page V 217 in CWJC No-8690/2003 Patna H.C) Speaks : Mutation Zamabandi created 48 years back cannot be cacelled. उसी प्रकार BBCJ Patna H.C, 2016 June page 515 bearing C.W.J.C 844/2014 Speack Bihar Land Mutation Act, 2011 Section 9 read with Bihar Land Reform Act,1950 Section 4(H) **"Proceeding Started (Inititiated) for Cancellation of Jamabandi on ground that nature of the land is Gair Mazarua Aam and it is being used by the public it can not be said that as the land were recorded as Gair mazarua Aam, Gair Mazarua Khas or Quaiser-e- Hind, the settlement in respect thereof becomes suspect or becomes illegal.** इसलिए रोहन गोप वो शंकर गोप के नाम से खाता सं0–67 का रकवा–10.20 एकड़ बंदोवस्त भूमि अंतिम रूप से निर्णित है तथा यह उनलोगो के दखल में है, जिसकी पुष्टि प्रथम पक्ष के द्वारा भी की गई है।

(6) खाता सं0–67 के अलावे खाता सं0–9 और 35 का अराजी आवेदक का खतियानी जमीन है। खाता सं0–9 की जमीन के खतियानी रैयत गाजो महतो वो प्रेमन महतो व दुखन महतो, पे0–टेका महतो के नाम से दर्ज है, जिसका कुल रकवा–13.51 एकड़ खतियान में दर्ज है।

(7) खाता सं0–35 रोहन गोप वगैरह पेसरान गाजो महतो के नाम से दर्ज है, जिसका कुल रकवा–4.14 एकड़ है इस प्रकार खाता सं0–67 का कुल रकवा–10.20 एकड़ जमीन की बंदोवस्ती शंकर गोप एवं रोहन गोप के नाम से है तथा खाता सं0–35 एवं 9 का रकवा 13.51 तथा 4.14 एकड़ कुल रकवा–27.82 एकड़ होता है और वर्त्तमान में तीनों खाता का रसीद एक साथ 26.30 एकड़ का कटता है, जिसका जमाबंदी कायम है। 27.85 एकड़ जमीन डैम में चला गया है।

<u>अंचल अधिकारी, खैरा का प्रतिवेदन</u> :–इस वाद में अंचल अधिकारी, खैरा के पत्रांक–416, दिनांक–02.08.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा–बादिलडीह, खाता सं0–67, खेसरा सं0–1655, कुल रकवा–89.20 एकड़ भूमि किस्म जंगल सर्वे खतियान में दर्ज है। पंजी–II को देखने से पता चलता है कि मौजा–बादिलडीह जमाबंदी रैयत मुरेन्द्र रविदास, पे0–लखन रविदास, जमाबंदी सं0–239, रकवा–2.0 एकड़ लगान 24 रूपये बंदोवस्ती केस नं0–14/95–96 पंजी–II में दर्ज है एवं इन्द्रदेव रविदास, पे0–लखन रविदास के नाम से 2.00 एकड़ भूमि लगान 24 रूपये बंदोवस्ती केस नं0–16/95–96 पंजी–II में दर्ज है तथा नागेन्द्र रविदास, पे0–लखन रविदास के नाम से 2.00 एकड़ भूमि लगान 24 रूपये बंदोवस्ती केस नं0–15/95–96 पंजी–II में दर्ज है। स्थानीय जाँच के क्रम में दोनो पक्षों द्वारा कागजात की मांग की गई तो मुरेन्द्र, इन्द्रदेव एवं नागेन्द्र रविदास द्वारा अपना–अपना पर्चा एवं रसीद दियाया गया एवं प्रसादी यादव वगैरह ने भी अपना हुकुमनामा एवं रसीद देखाया पंजी–II पुराना को देखने से पता चला पूर्व कर्मचारी द्वारा पुराना II छेड़–छाड़ किया हुआ है। रकवा में नया पंजी–II को देखने से पता चला कि पूर्व कर्मचारी अज्ञेयभूषण मिश्रा नया जमाबंदी कायम किया हुआ। मौजा–बादिलडीह के जमाबंदी रैयत रोहन गोप वो शंकर गोप, पे0–गाजो गोप रकवा–26 एकड़ $30\frac{1}{2}$–डी0 लगान

19 रूपये 81 पैसा प्रधिकार में लिख कि पुराना जमाबंदी फट जाने के कारण 7/8 से नया बल्कि आवेदक ने बताया इनका जमाबंदी संख्या–7/8 में छेड़–छाड़ करने के कारण साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो अपठनीय है। प्रसादी यादव वगैरह से पूछ–ताछ करने पर बताया कि हुकुमनामा के द्वारा नया जमाबंदी कायम कराया है। स्थानीय जाँच के उपरांत ग्रामीणों के लखन रविदास के तीनों पुत्र कई वर्षो से जमीन जोत–आबाद कर रहा है। स्थानीय जाँच के क्रम में खाता सं0–67, खेसरा सं0–1655, रकवा–2.00 एकड़ में आहर बना हुआ है, जो पुराना है। प्रसादी यादव से पुराना रसीद की मांग किये तो नहीं देखया सिर्फ नया रसीद वर्ष 14–15 का देखा रहा है। इस प्रकार यादव द्वारा प्रस्तुत लगान रसीद, जो रोहन गोप वो शंकर गोप, पे0–गाजो गोप के नाम से है। संदेहास्पद प्रतीत होता है।

निष्कर्ष :– उभयपक्षों की सुनवाई एवं प्रस्तुत साक्ष्यों से स्पष्ट है कि खैरा अंचल अन्तर्गत मौजा–बादिलडीह की भूमि खाता सं0–67, खेसरा सं0–1655, कुल रकवा–89.20 एकड़ किस्म जंगल के रूप में सर्वे खतियान में दर्ज है। इस संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई से भी प्रतिवेदन की मांग की गई थी। वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई ने अपने प्रतिवेदन पत्रांक–1108, दिनांक–11.07.2019 द्वारा सूचित किया है कि वर्णित खेसरा 1655 में रकवा–76.70 एकड़ कार्यालय अभिलेख के आधार पर वन भूमि है। इससे संबंधित वन भूमि का नक्शा तथा अधिसूचना की छाया–प्रति भी संलग्न की गई है। प्रथम पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत खेसरा 1655 में 2.00 एकड़ भूमि बिहार सरकार के द्वारा बंदोवस्ती वाद सं0–14/95–96 के द्वारा बंदोवस्त किया गया है एवं बंदोवस्ती की चौहद्दी के अनुसार उनको दखल भी दिला दिया गया है तथा वे तब से शांतिपूर्वक दखल–कब्जा में चले आ रहे है। बंदोवस्ती के आलोक में उनका रसीद भी कटा है। विपक्षीगण द्वारा अंचल अमला को मेल में लाकर अपनी जमाबंदी को 16.00 एकड़ के स्थान पर 26.00 एकड़ बना लिया गया है एवं तब से वेलोग उन्हें तथा उनके भाई को बेदखल करने की कोशिश में लगे हुए है। उन्होने अपने दावा में अंचल अधिकारी, खैरा के प्रतिवेदन एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई के प्रतिवेदन के आधार पर विपक्षी द्वारा अंचल अमला के मेल से अपनी जमाबंदी में हेर–फेर कर उनकी जमीन पर दावा करने का आरोप लगाते हुए विपक्षी की जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध किया है जबकि विपक्षी का कहना है कि खाता सं0–67, खेसरा सं0–1655 का रकवा बहुत बड़ा है, जिसमें आवेदक को 2.00 एकड़ भूमि बंदोवस्ती वाद संख्या–14/95–96 से हासिल है। प्रश्नगत खेसरा में रोहन गोप वो शंकर गोप, पे0–जागो गोप द्वारा खैरा इस्टेट से दो अलग–अलग बंदोवस्ती लिया गया, जिसका कुल अराजी 10.20 एकड़ है। खाता सं0–36 और 09 में 16 एकड़ $30\frac{1}{2}$ डी0 जमीन उनकी खतियानी जमीन है, जिसका जमाबंदी सं0–6/7 है। रोहन गोप वो शंकर गोप के नाम से 5.10 एकड़ भूमि की अलग–अलग जमाबंदी कायम है, जिसका रसीद भूतपूर्व जमींदार से लेकर आज तक कट रहा है। खाता सं0–67 के अलावे खाता सं0–9 और 35 की भूमि आवेदक की खतियानी जमीन है। खाता सं0–09 की जमीन के खतियानी रैयत लाजो महतो वो प्रेमन महतो वो दुखन महतो, पे0–टेका महतो के नाम से दर्ज है, जिसका कुल रकवा–13.51 एकड़ खतियान में दर्ज है तथा खाता सं0–35 रोहन गोप वगैरह, पेसरान–लाजो महतो के

नाम से दर्ज है, जिसका कुल रकवा–4.14 एकड़ है। खाता सं0–67 का कुल रकवा–10.20 एकड़ शंकर गोप एवं रोहन गोप के नाम से बंदोवस्ती है। इस प्रकार खाता सं0–67 का 10.20 एकड़, खाता सं0–35 का 13.51 एकड़ एवं खाता सं0–09 का 4.14 एकड़ कुल रकवा–27.82 एकड़ होता है। अंचल अधिकारी, खैरा ने स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया है कि मौजा–बादिलडीह, खाता सं0–67, खेसरा सं0–1655, कुल रकवा–89.20 एकड़ किस्म जंगल सर्वे खतियान में दर्ज है। पंजी–II में मुरेन्द्र रविदास, पे0–लखन रविदास के नाम पर दर्ज जमाबंदी सं0–239 पर बंदोवस्ती केस नं0–14/95–96 रकवा–2.00 एकड़ लगान 24 रूपये दर्ज है, इसी प्रकार इन्द्रदेव रविदास, पे0–लखन रविदास तथा नागेन्द्र रविदास, पे0–लखन रविदास के नाम पर भी दर्ज जमाबंदी में क्रमशः बंदोवस्ती केस नं0–16/95–96 एवं बंदोवस्ती केस नं0–15/95–96 तथा रकवा–2.00 एकड़ और 2.00 एकड़ दर्ज है। कागजातों की मांग करने पर मुरेन्द्र, इन्द्रदेव एवं नागेन्द्र रविदास द्वारा अपना–अपना पर्चा एवं रसीद दियाया गया जबकि विपक्षी प्रसादी यादव वगैरह द्वारा हुकुमनामा एवं रसीद दिखाया गया। पुराना पंजी–II को देखने से पता चला पूर्व कर्मचारी द्वारा पुराना पंजी– II के साथ छेड़–छाड़ किया गया है। नया पंजी–II को देखने से पता चला कि पूर्व कर्मचारी अज्ञेयभूषण मिश्रा नया जमाबंदी कायम किया गया है। रोहन गोप वो शंकर गोप, पे0–गाजो गोप, रकवा–26 $30\frac{1}{2}$ ए0 लगान 19 रूपये 81 पैसा दर्ज करते हुए प्रधिकार के कॉलम में लिख दिया है कि पुराना जमाबंदी फट जाने के कारण जमाबंदी सं0–7/8 से नया जमाबंदी कायम किया गया है, जिसमें छेड़–छाड़ करने के कारण साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो अपठनीय है। विपक्षी प्रसादी यादव वगैरह से पूछ–ताछ करने पर बताया कि उनके द्वारा हुकुमनामा के आधार पर नया जमाबंदी कायम कराया गया है। स्थानीय जाँच में लखन रविदास के तीनों पुत्रों द्वारा कई वर्षो से जमीन की जोत–अबाद करना पाया गया। साथ ही खाता सं0–67, खेसरा सं0–1655, रकवा–2.00 एकड़ में एक आहर बना हुआ है, जो पुराना है। प्रसादी यादव से पुराना रसीद की मांग करने पर केवल नया रसीद वर्ष 14–15 का दिखाया जा रहा है। इस प्रकार प्रसादी यादव द्वारा प्रस्तुत लगान रसीद, जो रोहन गोप वो शंकर गोप, पे0–गाजो गोप के नाम पर दर्ज है, संदेहास्पद प्रतीत होता है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में मुरेन्द्र रविदास, इन्द्रदेव रविदास वो नागेन्द्र रविदास तीनों पेसरान लखन रविदास का बंदोवस्ती पर्चा एवं निर्गत लगान रसीद की छाया–प्रति भी संलग्न की गई है। वही रोहन गोप वो शंकर गोप, पे0–गाजो गोप का मात्र वर्ष 2013–14 में निर्गत 26.30 $\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि की लगान रसीद की छाया–प्रति संलग्न की गई है। जिला अभिलेखागार, जमुई द्वारा उपलब्ध कराये गये खतियान की छाया–प्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खेसरा सं0–1655 गैरमजरूआ आम, किस्म–जंगल की भूमि है, जिसका कुल रकवा–89.50 एकड़ है। उक्त 89.50 एकड़ भूमि में से वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई के अनुसार 76.70 एकड़ वन भूमि है। इस प्रकार प्रश्नगत खेसरा अवशेष रकवा मात्र 12.80 एकड़ रह जाता है, जिसमें 6.00 एकड़ भूमि सरकार द्वारा मुरेन्द्र रविदास, इन्द्रदेव रविदास वो नागेन्द्र रविदास तीनों पेसरान लखन रविदास को बंदोवस्त की गई है, जिसका विधिवत जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद निर्गत हो रहा है। स्थलीय

जाँच में 2.00 एकड़ भूमि पर आहर बना हुआ पाया गया, जो बहुत पुराना है। विपक्षीगण ने ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिससे स्पष्ट हो कि उक्त गैरमजरूआ आम जंगल की भूमि का 10.20 एकड़ भूतपूर्व जमींदार के द्वारा बंदोवस्त किया गया तथा बंदोवस्ती के उपरांत उनके पक्ष में सरकार को रिटर्न दाखिल किया गया तथा जमींदारी उन्मूलन के पश्चात नियमित रूप से जमाबंदी कायम होकर रसीद कट रही है। अंचल अधिकारी, खैरा ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से अंकित है कि पंजी–2 में हेर–फेर किया गया है तथा विपक्षी द्वारा केवल नया रसीद केवल 2014–15 दिखाया जा रहा है। विपक्षी द्वारा इस न्यायालय में भी अपने दावे के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, मात्र माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ करते हुए बहुत समय से कायम (Long Standing) जमाबंदी को निरस्त नहीं किये जा सकने एवं माननीय उच्च न्यायालय में दायर समादेश याचिका का संदर्भ करते हुए न्याय निर्णय होने तक रद्दीकरण की कार्यवाही स्थगित रखने की बात कही गयी है परन्तु माननीय उच्च न्यायालय का कोई स्थगनादेश या यथास्थिति बनाए रखने का आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि गैरमजरूआ आम जंगल एवं वन भूमि को हड़पने के उद्देश्य से अंचल अमलाओं को मेल में लाकर अपनी जमाबंदी सं0–36 में बाद में समाविष्ट किया गया है। अतः अंचल अधिकारी, खैरा एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई के प्रतिवेदन को दृष्टिपथ पर रखते हुए विपक्षी के पूर्वज रोहन गोप वो शंकर गोप, पे0–गाजो गोप के नाम पर दर्ज जमाबंदी संख्या–36 से खेसरा संख्या–1655 की समाविष्ट भूमि को रद्द (विलोपित) किया जाता है एवं अंचल अधिकारी, खैरा को निदेश दिया जाता है कि तदनुसार जमाबंदी संख्या–36 में आवश्यक सुधार करें। उक्त आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

समाहरणालय, जमुई
(राजस्व शाखा)

ज्ञापांक– 1969 /रा0, दिनांक 02.12.2019

प्रतिलिपि :–उभयपक्षो/उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई/अंचल अधिकारी, खैरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एन0आई0सी0, जमुई को आदेश की प्रति जिला के बवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।